भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 544
दिनांक 07.02.2024/18 माघ,1945 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में निवेश को बढ़ावा

544 श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:
श्री पबित्र मार्गेरिटा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुच्छेद 370 के निराकरण के बाद जम्मू और कश्मीर में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई सकरात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर में पूंजी निवेश करने से और नई कंपनियों के प्रवेश से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए दिनांक 19.02.2021 को 'न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम' अधिसूचित की है, ताकि पूंजी का निवेश करने के लिए निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतियों/योजनाओं द्वारा सम्पूरित किया गया है:

i) जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति, 2021-30
ii) जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30
iii) जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति, 2021-30
iv) जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति, 2022
v) जम्मू और कश्मीर सिंगल विंडो नियम, 2021
vi) टर्नओवर प्रोत्साहन योजना, 2021
vii) जम्मू और कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा, नीति, 2020
viii) सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता योजना, 2020
ix) कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, 2020
x) जम्मू और कश्मीर में शिल्प क्षेत्र के विकास के लिए खारखंडार योजना, 2021

xi) हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के कारीगरों/बुनकरों के लिए संशोधित शिक्षा योजना 2022

xii) निर्यात सब्सिडी योजना, 2021

(ग) और (घ): जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपरोक्त उपायों का प्रभाव निम्नानुसार है:

वर्ष	**औद्योगिक क्षेत्र में निवेश (करोड़ रुपये में)**
2019-20	296.64
2020-21	412.74
2021-22	376.76
2022-23	2153.45
2023-24	2417.19

पर्यटन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों और निर्माण, सड़क, विद्युत इत्यादि जैसे अवसरंचनाओं में निवेश से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
